



2026:AHC: 171528

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 760/2025

शिवम कुमार कुशवाहा

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: सुनील कुमार कुशवाहा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, विकास श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- यह आपराधिक अपील एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14(ए)(1) के अंतर्गत अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), जालौन उरई द्वारा परिवाद संख्या 61 वर्ष 2024 (थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन) में पारित संज्ञान/तलब करने के आदेश दिनांक 26.11.2024 को अपास्त करने के लिए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को धारा 406 और 506 भा.द.सं. तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(व) के अंतर्गत अपराध के लिए तलब किया गया है।
- संक्षेप में, विपक्षी संख्या 2 ने धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त श्याम सिंह ने जनवरी, 2021 में एक भूखंड की खरीद के लिए अग्रिम के रूप में 2,00,000/- रुपये प्राप्त किए थे, लेकिन न तो विक्रय विलेख निष्पादित किया और न ही राशि वापस किया। यह आगे आरोप लगाया गया कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



30.04.2024 को, याचिकाकर्ता ने धमकियां दीं और जाति-सूचक गाली-गलौज वाले शब्दों का उपयोग किया। प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में माना गया और परिवाद संख्या 61 वर्ष 2024 के रूप में दर्ज किया गया। धारा 200 द.प्र.सं. के अंतर्गत उसका बयान दर्ज करने के पश्चात, विद्वान अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.11.2024 द्वारा, धारा 406, 506 भा.द.सं. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(व) के अंतर्गत अपराधों के लिए याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त को तलब किया।

4. संक्षेप में, अपील के आधार यह हैं कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), जालौन उरई द्वारा पारित आक्षेपित तलब करने का आदेश दिनांक 26.11.2024 पूरी तरह से अवैध है और विधि की दृष्टि में कायम रहने योग्य नहीं है। आक्षेपित आदेश अनुमानों और अटकलों पर आधारित है और इसलिए इसे रद्द किए जाने योग्य है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित तलब करने का आदेश दिनांक 26.11.2024 न्यायिक मन के उचित अनुप्रयोग के बिना पारित किया गया है। परिवाद झूठा, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित है। भूखंड की खरीद के लिए अग्रिम के रूप में 2,00,000/- रुपये के भुगतान के संबंध में आरोप, सिविल वाद संख्या 100 वर्ष 2024 में विपक्षी संख्या 2 द्वारा लिए गए रुख के विपरीत है, जिसमें उसने कहा था कि भूमि उसके पति के इलाज के खर्चों को पूरा करने के लिए बेची गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि धारा 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज किए गए गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं और धारा 406, 506 भा.द.सं. तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(व) के अंतर्गत कोई विशिष्ट अपराध नहीं बनता है। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि तलब करने का आदेश अवैध है, मन के गैर-अनुप्रयोग से ग्रस्त है और विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, और इसे अपास्त किए जाने योग्य है।

6. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अभिवेदन का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि परिवाद याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त के विरुद्ध एक स्पष्ट प्रथम दृष्टया मामला प्रकट करता है। याचिकाकर्ता पर भूखंड की खरीद के अग्रिम के रूप में 2,00,000/- रुपये प्राप्त करने का आरोप है और, विक्रय विलेख निष्पादित करने या राशि वापस करने में विफलता के बावजूद, उसने बाद में धमकियां दीं और विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध जाति-सूचक गाली-गलौज वाले शब्दों का उपयोग किया। धारा 200

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



द.प्र.सं. के अंतर्गत उसका बयान और धारा 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत गवाहों के बयान इन आरोपों का समर्थन करते हैं। तलब करने के प्रक्रम पर, केवल प्रथम दृष्टया संतुष्टि की आवश्यकता होती है और सिविल वाद में अभिवचनों के साथ कथित विरोधाभासों सहित याचिकाकर्ता के बचाव की विस्तार से जांच नहीं की जा सकती है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपनी क्षेत्राधिकार का सही ढंग से प्रयोग किया है और परिवाद की सामग्री से प्रकट होने वाले अपराधों के लिए याचिकाकर्ता को तलब किया है। अतः, आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. परिवाद में यह कहा गया है कि अभियुक्त-याचिकाकर्ता शिवम कुमार कुशवाहा और सह-अभियुक्त श्याम सिंह परिवादी, श्रीमती अरुणा भास्कर, जो एक वृद्ध महिला हैं, से परिचित थे और उनसे संबंधित भी थे। यह आरोप है कि परिवादी ने 16 लाख रुपये की विचारणीय राशि का भुगतान किया था, जिसके अनुसरण में दोनों अभियुक्तों ने उसे आश्वासन दिया था कि एक पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से उसके पक्ष में एक भूखंड स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि, वादे के भूखंड के संबंध में कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया था, और उक्त राशि कथित तौर पर अभियुक्तों द्वारा गबन कर ली गई थी। यह स्वीकार्य है कि खसरा संख्या 474, क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट वाला भूखंड, एक पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से वीरेंद्र सिंह कुशवाहा के पक्ष में स्थानांतरित किया गया था। उक्त विक्रय विलेख में विशेष रूप से दर्ज है कि इसका निष्पादन परिवादी, अरुणा भास्कर द्वारा वीरेंद्र सिंह कुशवाहा के पक्ष में किया गया था। अभियुक्त-याचिकाकर्ता शिवम कुमार कुशवाहा स्वीकार्य रूप से उक्त विक्रय विलेख के गवाह के रूप में खड़े हुए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पक्षों की पहचान की। जहां तक परिवादी की जाति और पहचान के ज्ञान का संबंध है, न तो परिवाद में और न ही परिवादी तथा गवाहों के बयानों में कोई विरोधाभास या असंगति इंगित की गई है। तलब करने के चरण पर, न्यायालय को केवल यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। संज्ञान लेने और अभियुक्त को तलब करने के चरण पर न्यायालय से साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन करने या मिनी-विचारण आयोजित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

8. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-याचिकाकर्ता को सही ढंग से तलब किया है। आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराने वाली कोई अवैधता या त्रुटि नहीं पाई गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. तदनुसार, आपराधिक अपील **खारिज** की जाती है।

14 अगस्त, 2026

आशा

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”